न्यायालय जिलाकलेक्टर, कोटा

पीठासीनअधिकारीः—पीयूष समारिया ,I.A.S.

प्रकरण संख्या —19/2020 (अपील)

GCMS No.2020/00075

1. घनश्याम आत्मज नारायण मीणा
2. आनन्दीलाल आत्मज नारायण मीणा
3. कालूलाल आत्मज भीमा मीणा
4. कैलाश चन्द आत्मज नन्द किशोर मीणा

निवासीगण बिशन्या खेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

——अपीलान्टगण

बनाम

1. राकेश कुमार आत्मज प्रहलाद मीणा
2. सुनील कुमार आत्मज प्रहलाद मीणा निवासीगण बिशन्याखेडी तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा

——रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्व अन्तर्गत धारा 225 राज0 काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व आदेश दिनांक 12.12.2025 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी मिसल नं0 02/2019 उनवान घनश्याम वगै0 बनाम राकेश वगै0 अन्तर्गत धारा 183—बी रा0टी0एक्ट

उपस्थित—

1. श्री विरेन्द्र कुमार राठौर, अभिभाषक अपीलान्ट

निर्णय

दिनांकः— .10.2025

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी ने प्रार्थी राकेश के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183—बी के सम्बन्ध में मि0नं0 02/2019 में दिनांक 12.12.2019 को निर्णय पारित किया कि— "प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल करके प्रार्थीगण को कब्जा सम्भलाया जावें, भू—अभिलेख निरीक्षक व पटवारी हल्का को तहरीर जारी हो ।
2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 12.12.2019 को पेश की गई है कि रेस्पोडेन्ट ने अपीलान्ट के खिलाफ वाद धारा 183 बी रा0टे0ए0 के अन्तर्गत इस आशय का प्रस्तुत किया कि ग्राम बिशन्याखेडी में खसरा नम्बर 129 रकबा 0.32 हे0 भूमि पर वह रिकार्डेड खातेदार है । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने अभिलेख का अवलोकन किये बिना व साक्ष्य का अवसर दिये बिना, अपीलान्ट को विवादित आराजी से बेदखल करने व रेस्पोडेन्ट को कब्जा सम्भलाये जाने का निर्णय पारित कर दिया है जो विधि न्याय संचिका तथा कानून के विपरीत जाकर निर्णय पारित किया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है ।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट की तलबी हेतु रजिस्टर्ड सम्मन जारी किये गये, अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से रेस्पोडेन्ट की अनुपस्थिति दर्ज की जाकर अपील का निस्तारण गुणावगुण के आधार पर किये जाने हेतु वकील अपीलांट की बहस सुनी गई ।
4. वकील अपीलान्ट ने अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही अपनी बहस में दोहराते हुए कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि पूर्व में रेस्पोडेन्ट राकेश के दादा बाला ने अपीलान्ट व उसके पिता के विरूद्व धारा 188 रा0टे0ए0 की कार्यवाही का वाद नं0 198/90 प्रस्तुत किया था, उक्त वाद को रेस्पोडेन्ट के दादा ने खारिज करवा कर निस्तारित करवा लिया था । रेस्पो0 ने तथ्य छिपाकर यह

वाद प्रस्तुत किया है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि रेस्पोडेन्ट के दादा बालाराम ने धारा 188 रा0टे0ए0 का वाद प्रस्तुत किया था, जिसके विरूद्व अपीलान्ट ने अतिरिक्त जिला कलेक्टर के यहां अपील संख्या 160/92 प्रस्तुत की थी, उक्त अपील में यह आदेश पारित किया था कि कब्जे के सम्बन्ध में पूर्ण जांच मौके पर जाकर की जावें । साक्ष्य व बहस सुनी जाकर निर्णय पारित करने हेतु 22.10.92 को दिनांक 26.5.92 का आदेश अपास्त कर दिया था । अधीनस्थ न्यायालय ने इस आधार पर निर्णय पारित किया कि रिमाण्ड के पश्चात आदेश की प्रति प्रस्तुत न करने पर उक्त निर्णय पारित कर दिया जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि ग्राम पंचायत देवली खुर्द, पंचायत समिति खेराबाद ने दिनांक 20.8.2011 को आदेश पारित कर अपीलान्ट को खेतों में जाने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय पारित कर अपीलान्ट को रास्ते के रूप में अधिकार दिये गये थे । वकील अपीलांट द्वारा यह भी तर्क दिया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया कि अपीलान्ट व रेस्पो0 दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य है, जिन पर धारा 183(बी) के प्रावधान लागू नहीं होते है । अतः अपील अपीलान्ट मय खर्चा स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.12.2019 अपास्त किया जावें ।

5. हमने अपीलांट की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अद्योपांत अवलोकन किया । अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी के मिसल नम्बर 2/2019 धारा 183 (बी) में प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के प्रार्थना पत्र पर पारित आदेश दिनांक 12.12.2019 के विरूद्व दिनांक 27.12.2019 को पेश की गई है जो निर्धारित समय सीमा के अन्दर है । प्रार्थी रेस्पोडेन्ट खातेदार राकेश वगै0 द्वारा ग्राम बिशन्याखेडी स्थित आराजी खसरा नम्बर 129 रकबा 0.32 हे0 भूमि जो उनकी रेकार्डेड खातेदारी की भूमि है जिस पर अप्रार्थीगण अपीलांट द्वारा नाजायज कब्जा करने पर धारा 183 (बी) के अन्तर्गत कब्जा संभलाने हेतु प्रार्थना पत्र तहसीलदार रामगंजमण्डी के समक्ष प्रस्तुत किया गया, तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा जांच कराने पर अप्रार्थीण घनश्याम, आनन्दीलाल आत्मज नारायण मीणा का खसरा नम्बर 129 की रकबा 0.01 हे0, तथा कैलाश आत्मज नन्दकिशोर मीणा का ख0नं0 129 की रकबा 0.02 हे0 पर व अप्रार्थी कालू आत्मज भीमा मीणा का 0.01 हे0 भूमि पर अवैध कब्जा होना पाया जाने पर अप्रार्थीगण का कब्जा हटाया जाकर प्रार्थीगण को कब्जा संभलाने के अपीलाधीन आदेश पारित किये । प्रस्तुत अपील में अपीलांट का मुख्य तर्क है कि पूर्व में रेस्पोडेन्ट राकेश के दादा बाला ने अपीलान्ट व उसके पिता के विरूद्व धारा 188 रा0टे0ए0 की कार्यवाही का वाद नं0 198/90 प्रस्तुत किया था जो रेस्पोडेन्ट के दादा ने खारिज करवा कर निस्तारित करवाकर तथ्य छुपाकर वाद प्रस्तुत करना, ग्राम पंचायत देवली खुर्द पंचायत समिति खैराबाद ने दिनांक 20.8.20211 को आदेश पारित कर अपीलान्ट को खेतों में जाने के लिए सर्वसम्मति से निर्णय पारित कर अधिकार दिया जाना तथा अपीलान्ट व रेस्पोडेन्ट दोनों अनुसूचित जन जाति के सदस्य होने से 183(बी) के प्रावधान लागू नहीं होने का तथ्य अंकित करते हुए अपीलाधीन आदेश निरस्त करने हेतु कथन किया है ।

6. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत तर्को एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट हो रहा है कि पक्षकारान के मध्य वाद अन्तर्गत 188 रा0टी0एक्ट का प्रकरण संख्या 198/90 बालाराम बनाम नारायण कालू वगै0 विचाराधीन था, जो दिनांक 15.12.1993 को नोट प्रेस में खारिज हुआ । विवादित वर्णित भूमि खसरा नम्बर 129 रकबा 0.32 हे0 राकेश कुमार, सुनील कुमार आत्मज प्रहलाद मीना निवासी बिशन्याखेडी के नाम खातेदारी से दर्ज रेकार्ड है । पटवारी रिपोर्ट दिनांक 18.10.2019 अनुसार उक्त खसरा नम्बर 129 की भूमि पर घनश्याम, आनन्दीलाल पुत्र नारायण द्वारा 0.01 हे0 पर कैलाश आत्मज नन्दकिशोर मीणा द्वारा 0.02 हे0 पर चारदीवारी कर कब्जा किया है तथा कालू आत्मज भीमा मीणा द्वारा पीछे के खेत में जाने का रास्ता बना रखा है जो 0.01 हे0 से भी कम भूमि पर कब्जा होना बताया है । इस प्रकार अपीलांट का तर्क की उक्त भूमि पर ग्राम पंचायत द्वारा रास्ता दिया गया है उचित नहीं है जबकि मौके पर चार दीवारी कर अतिक्रमण किया हुआ है । अपीलांट का यह भी तर्क विधि सम्मत नहीं है कि अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट एक ही वर्ग अर्थात अनुसूचित जन जाति के होने से उन पर 183(बी) के प्रावधान लागू नहीं होते है, जबकि 183(बी) में स्पष्ट प्रावधान है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति के सदस्य द्वारा धारित भूमि पर अन्य व्यक्ति द्वारा अतिक्रमण किया जाता है तो उसे बेदखल किया जा सकता है । इसी के परिपेक्ष्य में

माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने न्यायिक निर्णय मु. चंदूडी बनाम रामचन्द्र व अन्य, 2003 आर आर डी 530 में प्रावधान किया है कि "धारा 183 बी के अन्तर्गत इस प्रकरण में कार्यवाही हो सकती है क्योंकि केवल धारा 183–(बी) के देखने मात्र से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर कोई भी अतिकमी हो सकता है । यदि दोनों पक्ष अनुसूचित जाति के हो तब भी धारा 183–बी के प्रावधान लागू होंगे । " इस प्रकरण में भी दोनों पक्षकारान एक ही वर्ग अनुसूचित जन जाति के है, ऐसी स्थिति में इसमें 183–बी के प्रावधान लागू होते है ।

7. उपरोक्त विवेचनानुसार वर्णित भूमि खसरा नम्बर 129 की 0.32 हे0 भूमि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट अनुसूचित जन जाति वर्ग के सदस्य की खातेदारी की भूमि होने से तथा जिस पर अप्रार्थीगण अपीलांट द्वारा अतिकमण किया जाने से तहसीलदार रामगंजमण्डी द्वारा अपीलाधीन आदेश से अप्रार्थीगण अपीलांट की बेदखली कर प्रार्थीगण रेस्पो0 को कब्जा संभलाने के आदेश पारित किये है जो विधि के प्रावधानों के अनुरूप होने से प्रस्तुत अपील सारहीन एवं बलहीन होने से अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 12.12.2019 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से यथावत रखा जाता है ।
8. निर्णय आज दिनांक .10.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(पीयूष समारिया)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलक्टर
कोटा